फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

वादी: बाबूलाल बनाम प्रतिवादीगण: भगवानसहाय व अन्य

केस संख्या 70/25 (2025/2-38) दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.05.2025	वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 ए.डी./साउवधारण नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 06/06/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी	
6/6/25	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. ⑤ की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब दावा प्रतिवादी सं. ⑤ व शेष के इन्तजार तामील पदिनांक 17/06/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	
17/6/25	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. के/ [illegible] कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्य नही की जा सकी। [illegible] दिनांक 23/6/25 को पेश हो।	
23/6/25	पत्रावली पेश [illegible] P.O.सा. [illegible] कार्य [illegible] नही की जा सकी [illegible] दिनांक 11/7/25 [illegible]	
11/7/2025	पत्रावली पेश। वकील [illegible] उप.। पत्रावली [illegible] जवाब [illegible] 15/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	

आज्ञा या कार्यवाही	... विस्तृत रूप से
15/11/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] / कार्य [illegible] के कारण कार्य [illegible] सकी। पत्राव[illegible] 12/2/24 को पेश हो।
12/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] उपस्थित [illegible]। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/6/25 को पेश हो।
01/8/25	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा [illegible] / कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 04/8/25 को पेश हो।
04/8/25	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा [illegible] / कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/8/25 को पेश हो।
25/8/25	पत्रावली पेश [illegible] इ। [illegible] द्वारा [illegible] रने के कारण [illegible] आज्ञा [illegible] को जा सकी। [illegible] दिनांक 26/8/25 को पेश हो।
26/8/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 के अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी /वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र डिक्री किये जाने हेतु पेश किया। वादीगण उपस्थित होकर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वादीगण की पैरवी अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा ने की। प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री वादपत्र पर सुना गया। वादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण राजीनामा की रूह से डिक्री वादपत्र को करवाना

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	चाहते है। प्रार्थना पत्र विड्रो वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो वादपत्र स्वीकार होने से वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 26/9/25 उपखण्ड अधिकारी ... जिला-उदयपुर	